खंड: 5, अंक: 7

जुलाई 2022

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

भारत@75:उपलब्धियाँ एवं चुनौतियां

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

सत्यमेव जयते

संपादक

प्रो सुनील कुमार चौधरी

संपादकीय मण्डल

डॉ रमेश भारद्वाज
डॉ संध्या वर्मा
डॉ महेश कौशिक

डॉ अभिषेक नाथ
डॉ आशीष कुमार शुक्ल
राम किशोर

© सीजीएस 2022

रूपांकन: काजल

संश्लेषण

भारत@75: उपलब्धियाँ एवं चुनौतिया

अनुक्रमिका

संपादकीय

1 विकासात्मक परिदृश्यः– स्वतंत्रोंत्तर भारत का एक अध्ययन – सृष्टि 4–9

2 आजादी का अमृत महोत्सव और स्वराज को चुनौती – राजेन्द्र कुमार 10–13

3 स्वतंत्रता के 75 वर्ष राजनीतिक भ्रष्ट्राचार एक चुनौती – शंभू 14–18

4 स्वतंत्रता क पश्चात् आदिवासी अधिकार और स्वशासनः एक दृष्टिकोण 19–24

– नरेंद्र कुमार

5 भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनः राष्ट्रिय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयाम 25–30

– राखी

संपादकीय

किसी भी शोध केंद्र की महत्ता उसमें किए उसमें किए जाए वाले शोध लेखन की गुणवत्ता, निरन्तरता एवं समसामयिकता में परिलक्षित होती है। लगभग तीन वर्षों की अपनी दीर्घ शोध यात्रा में संश्लेषण के इस 48वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। समसामयिक विषयों से प्रेरित संश्लेषण का यह अंक केंद्र से समाज विज्ञान के विद्यार्थीयों व शोधार्थीयों को उत्तम लेखन की दिशा में प्रेरित करने हेतु एक उत्कृष्ट प्रयास है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ भारत समस्त भारतीयों के लिए नव–आकांक्षाओं का प्रतीक था। पराधीनता के सैकड़ों वर्षों में अपने स्वर्णिम अतीत को न्यूनाधिक रूप में विस्मृत कर चुके भारतीयों के लिए यह उस अतीत तथा उससे संबद्ध सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्जावित कर, एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होने का अवसर था। यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के नेतृत्व तथा नागरिकों द्वारा निरंतर भारत को पुन उसी रूप में स्थापित करने का उद्देश्य दोहराया गया जिसमें उसे विश्व–गुरु माना जाता रहा है। भारत आज अपनी स्वतंत्रता के स्वर्णिम 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा पूरे देश में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के रूप में माना रहा है।

भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व को सभ्य रूप में जीने के सूत्र दिया, किन्तु वह स्वयं सैकड़ों वर्षों तक न केवल विदेशी आक्रमणों स झुंझता रहा, अपितु एक बड़े भू–भाग पर आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों को भी झेलता रहा है। लाखों राष्ट्र पुत्रों ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने जीवन की आहुति देखर राष्ट्र को स्वतंत्रत कराया। इस वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मानते हुए यह चिंतन आवश्यक है कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षों के मंथन से क्या वास्तव में हम अमृत निकाल पाए है? अर्थात् स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का स्वपन्न अपनी आँखों में लेकर अपना जीवन बलिदान कर दिया, क्या यह वैसा ही भारत है? राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो यह अध्ययन अधिक आवश्यक है कि स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षों के पश्चात् आज जहां हम खड़े है वहाँ गर्व करने के लिए हमारे पास कौन सी उपलब्धियां है तथा आगे बढ़ने में किन–किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा।

वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविधालय अपनी हिन्दी शोध पत्रिका "संश्लेषण" के माध्यम से भारत के पचहत्तर वर्षों की यात्रा की उपलब्धियों व चुनौतियों के विविध पक्षों पर लेखों का समुच्चय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

स्वतंत्र चिंतन पर आधारित प्रस्तुत लेख मौलिक एवं सृजनात्मक प्रकृति के है। इस अंक पर आप सभी सुधी पाठकों की गहन प्रतिक्रियाओं व सुझावों के आधार पर जुलाईं माह के समसामयिक एवं महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

रविवार, 14 अगस्त 2022

1

विकासात्मक परिदृश्यः– स्वतंत्रोंत्तर भारत का एक अध्ययन

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्राचीन काल से ही भारत सम्पूर्ण विश्व में शिक्षा का केंद्र रहा है। शिक्षा केंद्र होने से लेकर आज विश्व का आई टी हब बनने तक भारत ने शैक्षणिक परिदृश्य ने एक विस्तृत सफर तय किया है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के उपरांत हमने विज्ञान व प्रोद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था व मानव विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। तथापि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपरांत अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां उल्लेखनीय ध्यान नहीं दिया है।

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिदृश्य

अंग्रेजों के भारत से जाने के पश्चात, एक अस्थिर, विकृत व अविकसित देश रह गया था, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता प्रदान की। जिसने IIT (Indian Institute of Technology) व IISC (Indian Institute of Science) जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता के मात्र तीन वर्ष पश्चात 1950 में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने विदेशी संस्थानों की सहायता से भारत में भी अनुसंधान को बढ़ावा दिया। 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने से लेकर मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला प्रथम देश बना। भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से अंतरिक्ष अनुसंधान प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म–विश्वास से भरी प्रगति की है। आज भारत अमेरिका व चीन जैसे देशों के समकक्ष खड़ा है। जिसका भारतीयों को गर्व है। जैव–प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सम्पूर्ण विश्व को टीकों का उत्पादन कर रहा है। जो कि भारत देश की उल्लेखनीय प्रगति है।

आर्थिक परिदृश्य

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात निरक्षता, भ्रष्टाचार, निर्धनता, लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता तथा क्षेत्रवाद सहित विभिन्न विषयों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे विभिन्न विषयो ने भारत के आर्थिक विकास में मुख्य रूप से बाधाओं के रूप में कार्य किया है। 1947 में जब

भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की, तब भारत की जीडीपी मात्र 2.7 करोड़ थी। जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 3% थी। 1965 में भारत मे हरित क्रांति का प्रारंभ हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। हरित क्रांति के दौरान, उच्च उपज वाले गेहूं व चावल के प्रकार वाले फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 1978–1979 तक, हरित क्रांति ने 131 मिलियन टन का रिकार्ड अनाज का उत्पादन किया। तब से भारत को विश्व के शीर्ष कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। कारखानों व जलविद्युत ऊर्जा संयत्रों जैसी जुड़ी सुविधाओं के निर्माण से कृषि श्रीमकों के अतिरिक्त औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न हुए। आज भारत 147 लाख करोड़ सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 8% है। हाल ही के वर्षों में भारत मे स्टार्टअप्स की संख्या में 25,400% की भारी वृद्धि देखी गई है, जो 2016 में 471 से बढ़कर जून 2022 तक 72,993 हो गई। स्टार्टअप्स में इस अभूतपूर्व वृद्धि ने देश में लाखों नए रोजगार उत्पन्न किए है।

आधारभूत संरचना

स्वतंत्रता के समय का भारत वर्तमान के भारत से अधिक भिन्न था। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में, आधारिक संरचना मे अत्यधिक सुधार हुआ है। भारतीय सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 1951 में 0.399 मिलियन किमी से बढ़कर 2015 तक 4.70 मिलियन किमी हो गई है, जो इसे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाता है। इसके अतिरिक्त, भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था अब 24,000 किमी से बढ़कर 2021 में 1,37,625 किलोमीटर तक विस्तृत हुई है।

स्वतंत्रता के 70 से अधिक वर्षों के पश्चात, भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया है। इसने 1947 में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 1,362 मेगावाट से बढ़कर 3,95,600 मेगावाट कर दी। भारत में, उत्पादित बिजली की कुल मात्रा 1992–1993 में 301 बिलियन यूनिट से बढ़कर 400990.23 मेगावाट हो गई है। भारत सरकार 2018 तक सभी गावों में, जिसमें 18,452 सम्मिलित है, बिजली प्रदान करने में सफल रही, जबकि 1950 में मात्र 3061 थी।

मानव विकास का परिदृश्य

1947 में भारत की जनसंख्या 340 मिलियन थी, जिसकी साक्षरता दर मात्र 12% थी, आज इसकी संख्या लगभग 1.4 बिलियन है तथा साक्षरता सर 74.04% है। 2022 में औसत जीवन प्रत्याशा भी 32 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई है।

शिक्षा व स्वास्थ्य का परिदृश्य

1947 में, भारत की जनसंख्या 340 मिलियन थी जिसकी साक्षरता दर मात्र 12% थी, आज इसकी जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है तथा साक्षरता दर 74.04% है। 2022 में औसत जीवन प्रत्याशा भी 32 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई है। तथापि भारत ने साक्षरता दर के विषय मे उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी प्रमुख चिंता का विषय है। शीर्ष विश्वविधालयों की रैंकिंग में एक भी भारतीय विश्वविधालय या संस्थान नहीं है। विश्व में सबसे बड़ी युवा जनसंख्या के साथ, भारत चमत्कार प्राप्त कर सकता है तथा उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकता है। यदि उसके युवा उचित कौशल व शिक्षा से पराक्रम हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी चिंताजनक स्थिति देखी जा सकती है। डॉक्टर से रोगी अनुपात प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.7 डॉक्टर है, जबकि WHO का औसत 2.5 डॉक्टर प्रति 1000 व्यक्ति है हाल के के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में चिकित्सा व्यय का 65% रोगियों द्वारा जेब से भुगतान किया जाता है और इसका कारण यह है कि सार्वजनिक अस्पतलों में खराब सुविधाओं के कारण उनके पास निजी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहता है।

राजनीतिक परिदृश्य

सन् 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के लिए एक समाजवादी व आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं और अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों जैसे खनन, इस्पात तथा अन्य भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण सम्मिलित था। गाँव के सामान्य क्षेत्रों को लिया गया। और वृहत स्तर पर सार्वजनिक कार्यों व औद्योगिकरण अभियान ने महत्वपूर्ण बांधों, सड़कां, सिंचाई नहरों, थर्मल व पनबिजली संयत्रों तथा विभिन्न अन्य चीजों का नेतृत्व किया। 1970 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 500 मिलियन को पार कर गई, किन्तु हरित क्रांति ने कृषि की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की। जिससे देश की अधिक समय से चली या खाद्य समस्या को समाप्त करने में सहायता मिली।

1991 से लेकर 1996 तक, भारत की अर्थव्यवस्था मे शीघ्रता से विकास हुआ क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव और उस समय के उनके वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई नीतियों का ही परिणाम था। निर्धनता लगभग 22% तक कम हो गई थी, जबकि बेरोजगारी निरंतर कम हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7% से अधिक हो गई थी।

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौथे कार्यकाल (1980–84) की सेवा करने से पूर्व 1966 से 1977 तक निरंतर तीन कार्यकाल के लिए पद संभाला। भारत ने 2007 में प्रतिभा पाटील को अपनी प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया।

21 वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था का अधिक विस्तार हुआ है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में धार 370 को समाप्त करने, रक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने, स्टार्टअप्स को अनुकूल बनाने जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। आधारिक संरचना व विनिर्माण का विस्तार करने के लिए, मोदी प्रशासन ने "मैक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया" और "स्वच्छ भारत परियोजना" सहित विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान प्रारंभ किए है।

कानूनी परिदृश्य

स्वतंत्रता से पूर्व, प्रिवी काउन्सल भारत में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण था। स्वतंत्रता के पश्चात पहली कार्यवाई के रूप में इस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी काउन्सल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन 1949 में भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत से अपीलों पर प्रिवी काउन्सल के अधिकार को समाप्त करने तथा बकाया अपीलों के लिए प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था। नए संप्रभु देश के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना बी आर अंबेडकर की कानूनी बुद्धिमत्ता का परिणाम था। राष्ट्र में सभी कार्यकारी, विधायी और न्यायिक विषयों में भारत का संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है। भारतीय कानूनी प्रणाली विश्व से सबसे बड़े लोकतंत्र के एक प्रमुख घटक के रूप में विकसित हुई है। और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व सुरक्षा के लिए लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है।

रक्षा क्षेत्र का परिदृश्य

वार्षिक GEP समीक्षा के लिए विचार किए देशों में से भारतीय सेना 142 में से 4 वें स्थान पर है। 1962 में चीनी सेना से हारने से लेकर विश्व की सबसे बड़ी रक्षा प्रणालियों मे से एक बनने तक, भारत ने निश्चित रूप से अपनी पिछली त्रुटियों से सीखा है। भारतीय रक्षा प्रणाली आणि वर्तमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होने के कारणों में से एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) है जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के पश्चात से, इसने मिसाइल सिस्टम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीयां बनाई है।

भारत ने 1950 के दशक के अंत मे परमाणु ऊर्जा पर काम करना प्रारंभ किया और 1970 के दशक तक उसके पास स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र थे। भारत ने परमाणु हथियार विकसित करना और साथ–साथ विखंडनीय सामग्री का उत्पादन भी आरंभ कर दिया था, जिसने 1971

में पोखरण मे कथित रूप से हानिहारित परमाणु विस्फोट की अनुमति डी। एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में और आयुध के समर्थन से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) कारखाने, 1983 में स्थापित किए गए थे। 1989 में, लंबी दूरी की अग्नि को स्वतंत्र रूप से डिजाइन और परीक्षण किया गया था। बाद में, भारत और रूस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डिजाइन और उत्पादन के लिए सहयोग किया। भारत वर्तमान में रक्षा के उत्पादन में विभिन्न अन्य देशों का नेतृत्व करता है। भारत विभिन्न देशों में से एक है जिसने अपने लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, मिसाइल और विमानवाहक पोत का निर्माण और उत्पादन किया है।

भारत के विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के पश्चात् हम देख सकते है कि भारत अपनी यात्रा में एक लंबा सफर तय कर चुका है किन्तु अभी भी, यदि हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते है तो बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। हमारे आर्थिक विकास में हाशिए के समुदायों सहित कार्यबल में महिलाओं की समान सहभागिता सुनिश्चित करना होगा। आज हम "स्वाधीनता का अमृत महोत्सव" मना रहे है, स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपरांत हमारी आशाओं, आकांक्षाओं तथा अभिलाषाओं से भारत के परिवर्तित परिदृश्य में सकारात्मक योगदान देने के एक नए अवसर के रूप में लिया जा सकता है।

संन्दर्भ–सूची

Deepak Nayyar (2006), "Economic Growth in Independent India", *Economic and Political Weekly*, vol 41, Issue No- 15.

Jehosh Paul (2021), "As India Turns 75", *Economic and Political Weekly*, Vol 56, Issue No- 34.

https://www.drishtiias.com/hindi/blog/india-@-75-major-achievements-after-independence

https://www.education.gov.in/azadi/

https://www.thehindu.com/news/national/india-at-75-looking-back-looking-ahead/art

♦♦♦♦♦

2

आजादी का अमृत महोत्सव और स्वराज को चुनौती

राजेन्द्र कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस वर्ष हम देश की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगाँठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे है। यह देश के लिए बड़े हर्ष की बात है, परंतु हमें सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जिनमें से हम नाम मात्र स्वतंत्रता सेनानियों को ही इतिहास के जरिए जान सके हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए स्वराज का आंदोलन सबसे प्रमुख रहा है, जिसकी नींव वीर मराठा राजे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के रूप में मराठों के स्वशासन के लिए रखी थी। स्वशासन की इस माँग को देखते ही देखते दादा भाई नौरोजी ने पूरे भारत के लिए लक्षित कर दिया। जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, मोहनदास करमचंद गाँधी, मौलाना हसरत मोहनी व सरदार भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक कार्यरत रहे। यह सभी वह नायक हैं, जो स्वराज के कार्यकर्ता के रूप में देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सभी व्यक्तिगत सीमाओं को लाँघ गए थे। इन्हीं के अथक प्रयासों व बलिदान से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ अर्थात स्वशासन को प्राप्त हुआ। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हमने स्वराज प्राप्त किया?

भारतीयों के लिए स्वराज के मायने

भारतीयों के लिए स्वराज के मायने स्वराज के अर्थ में ही हैं। अनन्या वाजपेई (2012) का मानना है कि स्वराज शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा के स्व एवं राज को जोड़कर हुआ है, जिसमें स्व का अर्थ स्वयं के लिए, स्वयं से, या स्वयं के द्वारा और राज शब्द का अर्थ शासन व संप्रभुता से है यानि यह शासन की विषय वस्तु है। अर्थात स्वराज का अर्थ 'स्वयं के शासन' से है। आकाश सिंह राठौड़ (2017) स्वराज को स्वशासन के रूप में ही वर्णित करते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा के लिए इसके भिन्न–भिन्न कर्ताओं के लिए इसका क्षेत्र भिन्न–भिन्न रहा। जैसे दादाभाई नौरोजी तिलक आदि के लिए यह राजनीतिक स्वशासन की माँग रही, वहीं गाँधी के लिए यह नैतिक शासन की पहल थी, जिसमें व्यक्तिगत रूप से स्वयं के ऊपर शासन करना एक अनिवार्य शर्त रही। परंतु क्रांतिकारियों और विशेष रुप से भगत सिंह व साथियों के लिए स्वराज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का पर्याय था। लेकिन सभी के

लिए स्वराज का स्व सकारात्मक एकता का प्रतीक रहा है, जिसमें स्वयं व अन्य का कोई विभाजन नहीं है। अतः स्वराज समावेशी शासन की विषयवस्तु है, जिसमें स्वराज की प्राप्ति सभी के लिए समानतामूलक तत्त्व के साथ होनी है। परंतु भारत का दुर्भाग्य यही रहा है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का हस्तांतरण भारतीय कुलीन वर्ग के हाथों में हो गया था। जो स्वशासन के बाद भी स्वराज को समस्त भारतीयों तक नहीं ले जा पाए।

स्वराज को चुनौती रू सामाजिक रूप से वंचित दलित

स्वतंत्रता के विगत 75 वर्षों में स्वराज के इस अर्थ को देखना उतना ही संभव है जितना जंगल में मोर के नृत्य को देखना है। इन बीते वर्षों में हमारे देश में राज तो बरकरार रहा परंतु स्वराज का स्व कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है, क्योंकि भारत में स्व को सबसे अधिक चुनौती का सामना करना पड़ा है और अब इसमें विरोधाभास पैदा हो गया है। जैसे देश ने एक ओर हम मंगलयान, चंद्रयान और ऐसी ही ना जाने कितनी गगनचुंबी सफलताओं को प्राप्त किया है, वहीं दूसरी ओर अनैतिक रूढ़ियों से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था शीर्ष पंचम देशों में है, वहीं देश की बहुमत जनसंख्या अभी भी निर्धनता का शिकार है। विश्व की सभी बड़ी कंपनियों में भारतीय शीर्ष पायदान पर कार्यरत है, वहीं दूसरी आर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और देश भूख के सूचकांक में निरंतर गिरता ही जा रहा है। यही कारण है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी देश अब तक स्वराज के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है। मनोरंजन मोहंती की माने तो समाजवादी शासन समाप्त होने और पूंजीवादी शासन के आरंभ होने के साथ भारत में कुलीन शासन वास्तविक मूल्यों, यानि स्वराज से दूर हट रहा है, क्योंकि अब लोगों को अपने सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के लिए जूझना पड़ रहा है।

यदि सामाजिक स्तर पर बात की जाए तो स्वराज एक दम लुप्त हो चुका है। हमारे देश में सामाजिक स्वतंत्रता और उसको रक्षित करने के लिए संविधान द्वारा 'विधि का शासन' तो मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में यह दिखाई नहीं देता, निम्न जाति के लोगों या दलितों के ऊपर जातिवादी दबंगों ने 'मनुस्मृति' का दंड विधान लागू किया हुआ है, इसलिए दलितों को अक्सर हिंसा के द्वारा शासित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दलित लड़कियों को बलात्कार कर उनकी हत्या के बाद उन्हें पेड़ से टांग दिया जाता है। इस वर्ष एक ओर जहाँ आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर राजस्थान के जालौर जिले में अगस्त माह में एक शिक्षक ने दलित छात्र को अपनी मटकी में से पानी पीने के लिए इतना पीटा कि अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसी साल राजस्थान में मार्च माह में जितेन्द्र पाल मेघवाल की मूँछ रखने पर हत्या कर दी गई (जी न्यूज हिन्दी)। गौर करने योग्य बात यह है

कि हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो राजस्थान के ही बीकानेर में सितंबर 2020 में तनी मूँछ रखने पर एक दलित युवक को दबंगों द्वारा हत्या के घाट उतार दिया गया था। राजस्थान में दलित विरोधी घटनाओं को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि दलितों के विरुद्ध हिंसा के मामले में राजस्थान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मुकाबला कर रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में ही दर्ज होते हैं. 2018 से 2020 के बीच, पूरे देश में दलितों पर अत्याचार के 1-3 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 36]467 मामले उत्तर प्रदेश के थे। इस सब से यही प्रतीत होता है कि दलितों को स्वराज से बड़ी संख्या में वंचित किया जा रहा है।

ऐसा नहीं है किस प्रकार की घटनाएं सिर्फ इस वर्ष भी हम सबके सामने आ रही हैं। दलितों के ऊपर हिंसा का शासन कर, उन्हें स्वराज से वंचित रखने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। लेकिन इस प्रकार के कृत्यों में वृद्धि केंद्र में एक मजबूत सरकार आने के बाद और भी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इन सब में शासन की क्या भूमिका रही है? सभी तथ्यों को गार से परखने और विश्लेषण करने पर यह सामने आता है कि जहाँ एक और शासन इस प्रकार के अपराधों को रोकने में असमर्थ रहा है, वहीं दूसरी ओर शासन की भागीदारी इन घटनाओं में बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार व प्रशासन में कार्यरत लोग ही ऐसा कर रहे हैं।

जसे मई, 2014 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो दलित बहनों को मार कर पेड़ पर लटका दिया गया उनकी हत्या से पहले उनके साथ बलात्कार किया गया था जिसमें 2 पुलिस कॉन्स्टेबल भी शामिल थे। जून 2017 में उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव में 17 वर्ष की दलित युवती के साथ बलात्कार किया गया जिसका आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था। इसने देखते ही देखते पीड़िता के पूरे परिवार वह वकील को साजिश रच कर समाप्त कर दिया। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एक गाँव के सरपंच ने एक दलित व्यक्ति को बंधक बनाकर उसके साथ इसलिए गाली–गलौच और मारपीट की, क्योंकि वह उसके घर के सामने से निम्न जाति का होते हुए भी मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा था। यदि हाल ही की कोरोना त्रासदी के दौरान की बात करें तो दलितों के विरुद्ध ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में एक दलित दंपत्ति को पुलिस प्रशासन क द्वारा इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि वह कीटनाशक पीने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें मारपीट कर उनके द्वारा खेती की गई जमीन पर से बेदखल कर दिया गया। बिहार के ही मुजफ्फरपुर में 3 दलित औरतों को चुड़ैल घोषित कर दिया गया उनके सिर के बाल मुंडवाए गए, उन्हें जबरन पेशाब पिलाया गया और आधा नंगा करके घुमाया गया। कर्नाटक के विजपूरा डिस्ट्रिक्ट में जिले में एक 28 वर्षीय दलित व्यक्ति की बेरहमी से

पिटाई की गई क्योंकि उसने उच्च जाति के व्यक्ति की मोटरसाइकिल को छू लिया था। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एसे बहुत सारे मामले आए हैं, जहाँ पर कोविड–19 आइसोलेशन केंद्रों में लोगों ने खाना इसलिए फेंक दिया, क्योंकि वह खाना दलितों के द्वारा बनाया गया था। दलित तबके से ही दलितों के लिए आवाज उठाने वाले अरविन्द बंसोड़ की लाश नागपुर में गंभीर हालत में मिली उनके साथ छब्ब के दफ्तर वालों ने मारपीट की थी पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और उसे आत्महत्या घोषित कर दिया। हाल ही का हाथरस बलात्कार केस उल्लेखनीय है, जिसमें दलित युवती से चार उच्चजाति के लोगों ने बलात्कार किया और इतनी बेरहमी से पिता की दो हफ्तों तक वह जिन्दगी और मौत के बीच लड़ती रही। अंत में उसकी मौत के बाद उसके शव को बिना उसके परिवार ही पुलिस प्रशासन ने आधी रात के बाद चोरी से जला दिया। इन सभी घटनाओं से साफ दिखाई देता है कि कभी–कभी राजनीतिक तत्वों द्वारा तो कभी–कभी प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा दलितों के ऊपर सामाजिक अपराध किया जा रहा है और उन्हें स्वराज से वंचित किया जा रहा है। जिसको अब वैधानिक क्रिया से रोकना बहुत अधिक मुश्किल है। ऐसा बढ़ता ही जा रहा है, यदि इंडियाटाइम्स की माने तो लॉकडाउन में जातिगत अपराध या जातिगत हिंसा 5 गुना तक बढ़ गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को माने तो हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक जुर्म होता है, हर दिन 6 दलित औरतों का बलात्कार किया जाता है, 56000 दलित बच्चे झुग्गियों में कुपोषण से मर जाते हैं और हर साल 1000 दलितों को जातिगत हिंसा में मार दिया जाता है।

अपने दौर में पूर्ण–स्वराज के लिए क्रान्ति करते हुए भगत सिंह ने लिखा था कि आज की कुलीन वर्ग की संताने एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी हुई हैं। यदि सामाजिक आर्थिक असमानता यूं ही बनी रही तो उन्हें भी इसके विस्फोट का शिकार होना पड़ेगा इन शब्दों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, क्योंकि यदि वर्तमान में दलितों के विरुद्ध ऐसे सामाजिक अपराध की घटनाएं ना रोकी गईं या बढ़ती गई और प्रशासन व शासन अपराधी तत्वों का ऐसे ही समर्थन करते गया तो आगे एक बहुत बड़ा सामाजिक विस्फोट के होने की साफ उम्मीद नजर आती है, जिससे पूरे समाज की सुख शांति भंग हो जाएगी। यदि प्रशासन और शासन दलितों के गुस्से से बचना चाहता है तो उसे निष्पक्ष होना चाहिए और आरोपियों के विरुद्ध गंभीर कदम उठाने चाहिए। शासन और प्रशासन को स्वराज की प्राप्ति समाज के सबसे निचले तबके तक सुनिश्चित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अन्यथा गाँधी से पूछा गया डॉ. अम्बेडकर का प्रश्न कि "दलितों की स्वराज में क्या हिस्सा है?" बना रहेगा।

3

स्वतंत्रता के 75 वर्ष राजनीतिकः भ्रष्ट्राचार एक चुनौती

शंभू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत लगभग 800 वर्षो तक मुस्लिम आक्रामकता और ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा। वर्ष 1857 के विद्रोह से भारत के स्वतन्त्रता की लड़ाई आरंभ हुई, जो राष्ट्रीय स्वाधीन आंदोलन तक चली। वर्ष 1947 में भारत शोषण रूपी गुलामी से स्वतंत्र हुआ। इस संघर्ष रूपी स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अतुलनीय रहा। स्वतन्त्रता सेनानियों के अहम योगदान और बलिदान नें भारत को वर्षो की गुलामी से निकालकर भारत को एक स्वतंत्र लोकतान्त्रिक देश के रूप में विश्व में पहचान दिलाई। स्वाधीनता प्राप्ति के समय देश के समक्ष निर्धनता, अकाल, कुपोषण, सूखा, अशिक्षा जैसी अनेक समस्याएं थी। भारत के उत्तम भविष्य के लिए समस्याओं का निदान करना आवश्यक था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि भारत की सेवा से अभिप्राय उन करोडों लोगों की सेवा है, जो समस्या में हैं, जो निर्धनता, भुखमरी, अज्ञानता, अवसर की असमानता और अनदेखी जेसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। और हमारा उदेश्य प्रत्येक भारतीय के आंखो से आँसू को पोछना हैं और यह कार्य हमें तब तक करना होगा, जब तक भारतीयों के आँसू और समस्याओं का निदान नही हो जाता, तब तक हमारा कार्य पूरा नही होगा।

ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में दो प्रकार के आंदोलन एक साथ चल रहे थे पहला राष्ट्रिय आंदोलन और दूसरा सामाजिक आंदोलन, स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही राष्ट्रिय आंदोलन सम्पूर्ण हुआ लेकिन सामाजिक आंदोलन चलता ही रहा क्योंकि स्वाधीनता स्वयं में अंत नही थी बल्कि वह अंत की और जाने वाला एक साधन थी'' संविधान सभा का यह उदेश्य था कि संविधान का निर्माण कर सामाजिक आंदोलन के उदेश्य को प्राप्त कर भारतीयो की जरूरतों को पूरा किया जाए, यह कार्य सरल नही था भारत में परिस्थितिया अस्थिर थी इसलिए आवश्यक था की राजनीतिक संस्थाओ को स्थापित किया जाए ताकि उदेश्य प्राप्त हो सके। संविधान सभा का प्रथम उदेश्य संविधान द्वारा स्वाधीनता को प्राप्त करना और

भारत की जनता कि जरूरतों को पूरा करना था, प्रत्येक भारतीय को अवसर प्रदान करना था ताकि वह अपनी योग्यता के अनुरूप अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। पंडित नेहरू को चिंता थी की अगर समस्याओ का निदान जल्द ही नही किया तो भारत का स्तर नीचे चला जाएगा और संविधान महत्वहीन हो जाएगा। पंडित नेहरू के सामने गरीबी, सूखा, अकाल और अशिक्षा जैसी समस्याओ से ग्रस्त देश को आगे ले जाने की चुनौती थी। नेहरू ने समस्याओ के नियोजित निदान के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया द्य विकास के लिए राज्य को राजनीतिक संस्थाओ की आवश्यकता थी, संविधान सभा नें समस्याओ के निदान के लिए संवैधानिक संस्थाओ जैसे योजना आयोग, संसद, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की ताकि भारत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके। भारत के विकास के मार्ग में अशिक्षा, निर्धनता, सूखा, अकाल, महगाई, बेरोजगारी और भ्रष्ट्राचार जैसे समस्या मौजूद थी जो भारत को विकास के मार्ग पर जाने नही दे रही थी। यह लेख भारत में भ्रष्ट्राचार जैसे समस्या पर केन्द्रित हैं जो यह बताने का प्रयास करेगा की कैसे भ्रष्ट्राचार की समस्या नें भारत के विकास को कुंठित किया हैं।

एक समस्या के रूप में राजनीतिक भ्रष्ट्राचार

राजनीतिक भ्रष्टाचार राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या हैं, सम्पूर्ण व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपनी जड़े स्थापित कर चुका हैं भारत स्वाधीनता के 75 वर्षो के पश्चात भी अपनी आधारभूत समस्याओ को हल नही पाया हैं गरीबी, बेरोजगारी ओर महगाई जैसी समस्याए वर्तमान समय में भी कायम हैं जिसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार हैं। यह राज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं राज्य राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश स्थापित करने में असफल रही हैं। राजनीतिक वित पर कोई कठोर प्रावधान ना होने के कारण चुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध नें अपना स्थान मजबूती के साथ कायम कर लिया हैं मौजूदा कानून अधिनियम राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावशाली प्रतीत नही होते हैं राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाए राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश स्थापित करने में विफल रही हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार के बढ़ते स्तर नें भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओ की विश्वशनीयता पर प्रश्न खड़े कर दिये हैं जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, आदर्श आवास घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, COAL ब्लॉक घोटाला और अन्य रक्षा सौदे संबन्धित घोटालो नें भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य की विफलता को सामने ला कर रख दिया हैं। भ्रष्टाचार ने व्यवस्था में नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही ओर उत्तरदायित्व में कमी की है और राज्य के विकास को बाधित किया हैं भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या हैं, विश्व के भ्रष्ट देशो की सूची में शीर्ष देशो में भारत शामिल हैं ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी अंतराष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना

वर्ष 1993 में जर्मनी के बर्लिन में की गयी। वर्ष 2022 में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गयी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशो में से 86जी रहा। भ्रष्टाचार देश की प्रमुख समस्याओ में शामिल हैं। भ्रष्टाचार की मौजूदगी सभी क्षेत्रो में देखी जा सकती हैं, व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार अपनी जड़े जमा चुका हैं। भारत अपनी आधारभूत जरूरतों को सुनिश्चित करने में असफल रहा हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के समय जो समस्याऐ मौजूद थी वह समस्याऐ स्वाधीनता प्राप्ति के 75 वर्षो के बाद भी देश में विध्यमान हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याओ से देश ग्रस्त हैं। जनता अपनी आधारभूत जरूरते जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ को पूरा करने में असफल रही हैं। भ्रष्टाचार नें विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया हैं। भारत को विकसित देशो की तरफ जाने से रोका हैं। संक्षेप में देखा जाए तो भ्रष्टाचार राष्ट्र विरोधी, गरीब विरोधी और विकास विरोधी प्रतीत होता हैं। भारत में भ्रष्टाचार को सामान्य रूप से दो श्रेणियों में बाटा जाता हैं। अखिल गुप्ता भ्रष्टाचार को दो श्रेणियों में रखते हैं पहला संकुचित भ्रष्टाचार जिसे अनुलंब भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करते हैं और दूसरा व्यापक भ्रष्टाचार जिसे क्षैतिज भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करते हैं। संकुचित भ्रष्टाचार में पैसों की रकम जरुर छोटी होती हैं लेकिन लेनदेन बड़े स्तर पर होता हैं लाखो की संख्या में जनता अपनी दैनिक जरूरतों और जनकल्याणकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जन्म, आवास, जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकारी विभागो से संपर्क स्थापित करती हैं। लेकिन नौकरशाही के भ्रष्ट अधिकारी जनता से इन जरूरी दस्तावेजो को उपलब्ध करने के एवज में घुस की मांग करते हैं और जनता घुस नही देती हैं तो उनका काम लंबे समय तक लंबित रखा जाता हैं, जानबूझ कर देरी की जाती हैं ताकि परेशान हो कर जनता घुस दे। देरी से बचने और काम को जल्दी करवाने के लिए जनता घुस देती हैं, जिसे स्पीडी मनी की संज्ञा दी जाती हैं। क्षैतिज भ्रष्टाचार मे लेनदेन का स्तर छोटा होता हैं लेकिन पैसों की रकम बहुत बड़ी होती हैं, उच्च श्रेणी के अधिकारी, राजनीतिक दलो के नेता और बड़े उधोगपति आते हैं। नेता अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर सार्वजनिक योजनाओ का लाभ बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। क्षैतिज भ्रष्टाचार में राजनीतिक दलो की भूमिका अहम होती हैं, चुनाव के समय चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पैसों की जरूरत होती हैं और चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में बड़े उद्योगपतियों द्वारा इन राजनीतिक दलो को पैसा दिया जाता हैं क्षैतिज भ्रष्टाचार में एक प्रकार से नेता, बाबू, लाला और दादा का गठबंधन होता हैं चुनाव में काला पैसा का उपयोग सबसे अधिक किया जाता हैं। भ्रष्टाचार के कारण आपराधिक पृष्टभूमि के गुंडे राजनीति में प्रवेश प्राप्त करने में सफल रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण राजनीति और अपराध का आपसी मिलाप हो गया हैं राजनीति के केंद्र में आतिक अहमद, मो० शाहबुद्धिन,

पप्पू यादव और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया जैसे आपराधिक पृष्टभूमि के गुंडे पैसा और पावर के बल पर पॉलिटिक्स में प्रवेश कर चुके हैं वोहरा समिति (1994) नें राजनीति में अपराध और राजनीति के अपराधिकरण के कारणो की समीक्षा कर संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन संसद नें इसमे कोई विशेष रुचि नही दिखाई रजनी कोठारी राजनीति में बढ़ते अपराध को राजनीति का अपराधिकरण की संज्ञा देते हैं मिलन वैष्णव के अनुसार राजनीति में अपराधिक पृष्टभूमि का प्रवेश चुनाव से होता हैं चुनावी परिस्थितियो को प्रभावित करते हुए यह स्वयं को किनारे से राजनीति के केंद्र तक ले आए हैं, नेताओ की सेवा कर समय के साथ अपराधी अब स्वयं ही नेता बन गए हैं राजनीतिक दल भी चुनाव में पैसों के लिए अपराधियो को चुनाव का टिकट देते हैं, उनका समर्थन करते हैं और अपनी जैब भरते हैं भारत में चुनाव प्रचार प्रसार के विषय पर सख्त कानून अधिनियम मौजूद नही हैं, चुनाव में काला पैसा और अपराध चुनावी पहिये पर ग्रीस लगाने का कार्य करते हैं संसद में 12 प्रतिशत से अधिक सांसदो पर गंभीर श्रेणी के आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमे हत्या, हत्या की कोशिश अपहरण और शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं राजनीति में अपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओ की पहचान को सार्वजनिक करने के लिए वर्ष 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय नें आदेश पारित किया की सभी उम्मीदवारो को अपने चुनावी हलफनामे में चुनाव आयोग के समक्ष अपने अपराधिक मामलो की लिखित सूची को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। असोशिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रेफोर्म्स (ADR) के आंकड़ो के अनुसार, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 31 प्रतिशत सांसद आपराधिक प्रष्ठभूमि वाले थे जिसमे से 15 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे संक्षेप में देखा जाए तो भारत में ऐसा कोई राज्य, शासन और प्रशासन नही जो अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त हो।

संदर्भ सूची

Austin, Granville, 1996, The Indian constitution : Cornerstone Of A Nation, Bombay : Oxford University Press.

Choudhary, Sunil Kumar And Atal Yogesh, 2014, Combating Corruption: The Indian Case, New Delhi : Orient Black Swan.

Gupta Akhil, 2012, Red Tape: Bureaucracy Structural Violence And Poverty In India ¼New Delhi: Orient Black Swan.

Gupta Akhil, 2018, Changing Forms Of Corruption In India, USA: Cambridge University Press.

International Transparency IndeÛ Report] Berlin 2021-

Kohli Atul, 2001, The Success Of India*s Democracy, India: Cambridge University Press.

Kapur Devesh And Vaishnav Milan, 2018, Cost of Democracy: Political Finance In India, India: Oxford University Press.

Kashyap Subhash, 2017, Democracy And Good Governance: Some Guidelines For Today*s Parliamentarians, New Delhi: Vitasta Publications.

Mittal, J-P, 2012, India*s Fight Against Corruption, New Delhi : Atlantic Publications.

Singh, Jogindar, 2014, Corruption: A Threat To Indian Bureaucracy, India: Gyan Prakashan,

Vital Nagarajan, 2012, Ending Corruption: How to Cleanup India, Haryana: Penguin Publications.

Vaishnav Milan, 2017, When Crime Pays: Money And Muscle In Indian Politics, London: Yale University Press.

♦♦♦♦♦

4

स्वतंत्रता के पश्चात आदिवासी अधिकार और स्वशासनः एक दृष्टिकोण

नरेंद्र कुमार

सहायक प्राध्यापक

मोतीलाल नेहरू (संध्या) महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों की यात्रा को यदि हम आदिवासियों के अधिकार और स्वशासन के संदर्भ मे देखे तो, इनके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास जरूर हुए है। परंतु क्या आदिवासियों को वह सब अधिकार मिल पाए है, जिनकी कल्पना संविधान मे की गई है। अत जब आदिवासी (जिन्हें संविधान मे अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है) की बात होती है तो संविधान निर्माण के समय मुख्य प्रश्न यह था कि आदिवासी विकास और स्वशासन के लिए किस प्रकार की नीतियां और कानून बनाए जाए ताकि वह अपने प्रारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उस समय इनके लिए तीन प्रकार के विकल्प मौजूद थे। जैसे (1) इन्हें अलग कर रखना (Isolation) (2) समावेश करना (Assimilation) और एकीकरण (Integration)। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जहवार लाल नेहरू ने इनके विकास के लिए एकीकरण की पद्धति को महत्वपूर्ण माना और 1954 में इस संदर्भ में पंचशील का सिद्धांत दिया (Nehru; 1955,1–8)। इसके पश्चात आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए गए। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रयास केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 मे किया गया जब, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम) कानून (पेसा) पास किया। जिसे आदिवासी अधिकार और स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है । इसके पश्चात वर्ष 2006 मे वनवासियों को उनके जंगल और जमीन पर मालिकाना अधिकार देने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियन (2006) पास किया। इस लेख मे आजादी के बाद आदिवासी अधिकार और स्वशासन के लिए मुख्य प्रावधान और प्रयासों का वंर्णन किया गया है। सबसे पहले संविधान की पांचवी और छटी अनुसूचि के प्रावधानों को बताया गया है कि आदिवासियों को इसमें किस प्रकार के अधिकार दिए गए है। इसके बाद पेसा कानून और वनवासी अधिनियम के बारे मे बताया गया है।

संविधान कि पांचवी और छटी अनुसूचि और आदिवासी अधिकार

भारत में जनजातियों की संख्या कुल आबादी की करीब 8.6 प्रतिशत हैं। (Census of India, 2011) संविधान में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा नही हैं। इन्हें मात्र प्रशासनिक संदर्भ में स्पष्ट किया हैं, परंतु अनुच्छेद 341और 342 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई हैं कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर एक सूची तैयार करे और संसद इस सूची का पुनरीक्षण कर सकती हैं। भारतीय आदिवासी समुदाय भी हमारे समाज में कमजोर तबके के लोग है। इसलिए इनके हितों की सुरक्षा के उदेश्य को देश की राजनीतिक पार्टी की राजनीति से ऊपर रखा गया है। स्वतन्त्रता से पूर्व आदिवासी क्षेत्र का विभाजन 'बहिष्कृ त क्षेत्र' और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र मे किया गया था, संविधान निर्माण के समय इन दोनों क्षेत्र को छटी और पांचवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 244(1) के अनुसार पांचवी अनुसूची के प्रावधान इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा गुजरात, राजस्थान इत्यादि) के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होगे। इसी अनुच्छेद 244(2) के उप खण्ड के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि छटी अनुसूची के प्रावधान इसके अंतर्गत आने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों (आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है) की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबन्धित होगे। (भारत का संविधान, 2011) अत पांचवी और छटी अनुसूचि के प्रावधान इस प्रकार है।

पांचवी अनुसूची के मुख्य प्रावधान

संविधान मे बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति {(अनुछेद, 52(1)} और राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल {अनुछेद,154(1)} मे निहित होगी। (भारत का संविधान, 2011) इन दोनों ही राष्ट्र और राज्य प्रमुख को आदिवासी क्षेत्र मे शान्ति और स्वशासन के विशेष अधिकार सौंपे गए है। इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व इनके माध्यम से संघ और राज्य सरकार दोनों का है। गवर्नर केन्द्र और राज्य सरकार के कानून अनुसूचित क्षेत्र मे लागू होनें से रोक सकता है, या निर्देश दे सकता है कि इन्हें कुछ खास बदलाव के बाद ही लागू किया जाए। वहीं राष्ट्रपति राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि वह अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए खास प्रावधान का निर्माण करे। इतना ही नही अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण और विकास व योजना के लिए पर्याप्त राशि प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। {अनुछेद,275(1)}। जिसमे राशि के खर्च का निरीक्षण 'अनुसूचित जनजाति कमिशनर' के द्वारा किया जाएगा, उसका उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना हैं कि क्या राशि का खर्च उचित प्रकार से हो रहा है। Sharma]2000: 11) संविधान की पांचवी अनुसूची के

पैरा 3 मे बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के लिए अनिवार्य है कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाली जनजातियों के प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट अथवा जब कभी राष्ट्रपति इसे जरूरी समझे उनके समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रकार संविधान की पांचवी और छटी अनुसूची का मुख्य उदेश्य न केवल अनुसूचित जनजाति को गैर आदिवासी वर्गो के शोषण से बचाता है। बल्कि राज्य के अनुचित कानूनों से भी सुरक्षा करना है ताकि इन्हें स्वशासन और स्वायत्ता इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के परिवेश मे मिल सके।

पांचवी अनुसूची का भाग 4 अनुसूचित क्षेत्र के संशोधन के साथ जुड़ा है, इसके मूल पेरा मे पांचवी अनुसूची के संशोधन के लिए कोई प्रावधान नही है। डा० अम्बेडकर का मानना था कि यह अब संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा कि उसके पास इस अनुसूची मे संशोधन की शक्ति होनी चाहिए या नही। इन प्रावधानों के अलावा और कई मुख्य प्रावधान है जो आदिवासी समुदाय के साथ जुड़े है। अनुच्छेद (342) मे जनजाति समुदाय की मान्यता की बात कही गई है, अनुच्छेद, (330) लोक सभा और अनुच्छेद (332) मे विधानसभा के अन्दर जनजातियो के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 338(1) मे स्पष्ट किया गया है कि जनजातियो के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा, और अनुच्छेद 339 इस बात को स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति राज्यो के अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन के लिए और अनुसूचित जनजातियो के कल्याण के बारे मे प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति किसी भी समय आदेश द्वारा कर सकेगा। (भारतीय संविधान, 2011)

छटी अनुसूची के मुख्य प्रावधान

छटी अनुसूची क्षेत्र की जनजाति अन्य राज्यों के अंतर्गत आने वाले जनजातियों से अधिक प्रगतिशील हैं। संविधान में इन्हें 'स्वायत्त जिला परिषद' और 'स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद' के रूप में प्रर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। (kurup;2014: 8) संविधान के अनुच्छेद 244 (2) में छटी अनुसूची का वर्णन किया गया हैं। जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के आदिवासि शामिल हैं। इस अनुसूची के भाग 2(1) के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक 'स्वायत्त जिला परिषद' होगी जिनके सदस्यों की संख्या 30 से अधिक नही होगी, जिनमें अधिकतम चार सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल और अन्य सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। इस अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल 'जिला परिषद' और क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में परिषद अथवा आदिवासी संगठन के साथ विचार विमर्श कर कानून बना सकता हैं। इस अनुसूची के अंतर्गत कई स्थानीय विषय आते हैं जैसे गांव और कस्बे के लिए प्रशासनिक नीति बनाना। (kurup;2014: 8) अर्थात राज्य कार्यपालिका के प्राधिकार के साथ छटी अनुसूची के जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिले के रूप में शासित किए जाएंगे। छटी अनुसूची के भाग 3 में बताया

गया हैं कि स्थानीय स्तर पर कुछ न्यायिक और विधायी शक्तियां स्वायत्त परिषदों को प्रदान की गई हैं। जैसे आरक्षित क्षेत्र से भिन्न वनों का प्रबंध, विवाह और सामाजिक रीतिरिवाज इत्यादि। (clq;2013: 332–333) परंतु इन परिषदों द्वारा बनाई गए कानून तब तक निष्प्रभावी रहंगे जब तक राज्यपाल उसे अनुमति प्रदान न करे। अध्याय के अगले भाग में 1996 में पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून का वर्णन किया गया हैं।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम) कानून (पेसा)

अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत संसद ने 73 और 74 वे संविधान संशोधन का विस्तार कर 1996 में पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून लागू किया। इस कानून मे स्थानीय स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए है। पेसा कानून की धारा 4 मे बताया गया है कि राज्य की विधानसभा पंचायतों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के सामाजिक, धार्मिक, परम्परागत मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कानूनी प्रयास करेगी। अर्थात इस कानून में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए जिससे अनुसूचित क्षेत्र मे स्वशासन की प्रक्रिया को प्राप्त किया जा सके। पैरा 4(इ) में गांव को स्वशासन की मुख्य इकाई मानकर इसे आदिवासियों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। पैरा 4(ब) में प्रावधान हैं कि प्रत्येक गांव मे एक ग्राम सभा होगो, जिसके सदस्यों का निर्वाचन वहां की चुनाव सूची मे शामिल बालिग मताधिकार द्वारा होगा। (Bijoy,2012: 16) इसी पैरा मे बताया गया है कि सरकारी रिकॉर्ड मे जिसे गांव बताया गया है उसे अब गांव मानना जरूरी नहीं है, एक या अधिक बस्तियों, जिसमें रहने वाले लोग आपस मे मिलकर अपने जीवन के रोजमर्रा के कार्य सम्पन्न करते उसे बुनियादी इकाई के रूप में मान्यता दी गई। पैरा 4(क) के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा को उनकी परम्परागत, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक सम्पदा और विवादों को निपटाने की परम्परागत व्यवस्था को बनाए रखने और उनके मुताबिक कामकाज चलाने के लिए सक्षम बनाया हैं। ('kekZ;2010: 9–10) पेसा कानून के पेरा 4 (प),(र),(ा) और (स) में आदिवासी भूमि और इनके प्राकृतिक संसाधनों से संबन्धित प्रदार्थों को प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। (Dandekar,2016: 76) पेसा को आर अधिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा इस संदर्भ मे बहुत से अधिकार दिए गए। इस कानून की विशेषता यह है कि आदिवासी स्वशासन की बाते औपचारिक रूप से शामिल की गई है। जिसमे स्पष्ट निर्देश है कि राज्य विधान मण्डल ऐसा कोई कानून पास नही करेगी जो इसके (पेसा) अधिकारों को कम करे।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियन (2006)

वन निवासी अधिनियम 2006 से पूर्व भारत में वनों का संचालन दो (भारत शासन अधिनियन 1927' और 'वन सुरक्षा कानून 1972) कानूनों द्वारा होता था। वन निवासी अधिनयम से पूर्व के कानूनों से यह इसलिए अलग हैं क्योंकि यह वनवासी और आदिवासियों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करता हैं। ताकि वनवासियों के साथ औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक समय में जो भेदभाव हुआ हैं उसे खत्म किया जा सके। इस अधिनियम के अध्याय एक में बताया हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा। अधिनियम की धारा 2(ग) के अनुसार वन में रहने वाली जनजाति से अभिप्राय है कि जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास कर रहे हैं और अपनी जीविका के लिए वन अथवा वनों की भूमि पर निर्भर हैं तथा इसमें अनुसूचित जनजाति और चरागाही समुदाय भी आते हैं। इस कानून की धारा 2(ब) के तहत वनवासियों को मान्यता प्रदान करने के लिए तीन कानूनी शर्ते रखी गई हैं। एक उस क्षेत्र में जनजाति के रूप में मान्यता मिली होनी चाहिए जहां वह अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं। दूसरा वनवासियों के पास 2005 से पूर्व प्राथमिक रूप से वनों में रहने का आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा जो वनवासी अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरहा वनों पर निर्भर हैं। अतः इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह हैं कि धारा 3(ए) के अनुसार वनवासियो को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जंगलों में जीविका का अधिकार दिया गया हैं। इसमें उन वनवासियों के मालिकाना हक का प्रावधान किया गया हैं जो कई पीढ़ी से अपनी आजिविका के लिए जंगल अथवा वनों पर निर्भर थे। इसके अलावा इस अधिनियम में वनवासियों को इनके अंतगत आने वाले जंगलो का संरक्षण या प्रबंध करने का अधिकार भी दिया गया जिसे वह पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं। अतः कहे सकते है कि आजादी के 75 वर्षों मे आदिवासी अधिकार और विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हुए है। परंतु अभी भी यह समुदाय समाज के पिछड़े वर्गों मे गिना जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि इनके कल्याण और विकास पर मुख्य ध्यान दिया जाए, तभी हम भारत को एक विकसित देश बना पाएगे।

संदर्भ सूची

(2011) 'भारत का संविधान' (द्विभाषीय संस्करण) इलाहबाद सैंटर लॉ पब्लिकेशन.

Nehru- Jawaharlal (1955) ^The Tribal Folk* in Government of India Ministry of Information and Broadcasting New Delhi Adivasi Publication.

Sharma- B- D (2000) The Fifth Schedule* Vol-1 Sahyog Pustak Kuteer Trust-

Kurup- Anup (2014) Tribal Law in India* New Delhi Critical Quest Publication.

बसु. दुर्गा .दास (2013) 'भारत का संविधान एक परिचय' (10 वां संस्करण) हरयाणा लेग्जिस नेक्सिस पब्लिकेशन.

शर्मा बि. डी (2010) 'पेसा कानूनरू उर्फ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996'सहयोग पुस्तक कुटीर ट्रस्ट पब्लिकेशन दिल्ली.

Dandekar- Ajay (2016) PESA] The Impasse of The Legislative Process* Democracy and Challenges of Participation in ^Claiming India from Below: Activism and democratic transformation] central Indian tribal regions* {ed} in Vipul Mudgal] Routledge New Delhi-

https://ruralindiaonline-org/library/resource/scheduled&tribes&in&india&as&revealed&in&census&2011/]30/09/2019

https://www-mea-gov-in/Images/pdf1/S6-pdf]8/10/2019

https://www-mea-gov-in/Images/pdf1/S6-pdf]8/10/2019

https://tribal-nic-in/FRA/data/FRAActHindi-pdf]17/10/2019

♦♦♦♦♦

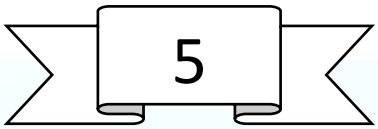

5

भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनः राष्ट्रिय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयाम

राखी

सहायक आचार्य, भारती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्वतंत्रता मिलने के बाद 75 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। राष्ट्र ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विनिर्माण से लेकर सेवाओं और विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों तक सभी क्षेत्रों में देश की उपलब्धता और सामर्थ्य बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने तथा उनकी प्रगति हेतु प्रयास किये जाते रहे है।

भारतीय समाज के अनेक आयाम है जो इसके अंतर्गत यह प्रदर्शित करते है कि किस प्रकार यह 75 वर्षो का समय प्रगति एवं सुधार के रूप में अनेक परिवर्तन लाया है जिसने वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। 15 अगस्त, 1947 से भारत की यात्रा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर शिक्षा, खाद्य उत्पादन में पर्याप्तता सहित अन्य क्षेत्रों में विकास में से एक रही है। सभी नकारात्मक खबरों और राजनीतिक उतार चढ़ावों के बाद भी भारत मजबूत खड़ा ह और हमारे विचार से कहीं अधिक क्षमता रखता है। यह नया साल देश के लिए आशा और प्रेरणा का एक नया उत्साह लेकर आया है। अद्भुत उपलब्धियां है जो भारत ने पिछले 74 वर्षों में हासिल की हैं और खुद को ''भारतीय'' कहने में हम गर्व महसूस करते हैं।

भारत कृषि के क्षेत्र में दिन–प्रतिदित अधिक विकसित हुआ है। भारत विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादक होने के साथ ही साथ इसका 18% अकेले उत्पादन करता है। यह कपास का सबसे बड़ा और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है । इसके अलावा, यह विभिन्न प्रकार के मसालों, फसलों, पोल्टो और मत्स्य उत्पादों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है।

स्वतंत्रता के बाद से, भारत अपने तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को दृढ़ता से विकसित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप हरित क्रांति हुई जिसने हमारे खाद्यान्न उत्पादन को चार गुना से अधिक बढ़ा दिया, स्वतंत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम, महामारी का उन्मूलन और आईटी क्षेत्र यह सभी इस विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित भारत जैसे देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष और अगले वर्ष, जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी

सदस्य के रूप में कार्य करेगा, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अधिक प्रतिनिधि मूलक तथा समकालीन चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा।

अर्थव्यवस्था के दो चरण

जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह अशिक्षित और गरीब किसानों से भरी एक बिखरी हुई अर्थव्यवस्था थी। भारत के इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है—पहला स्वतंत्रता के 45 वर्ष बाद और दूसरा तीन दशक बाद का समय। बाद के वर्षों में आर्थिक मुक्ति देखी गई और साथक नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास के संबंध में राष्ट्र स्थिर हो गया। एलपीजी नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विद्रोह में सबसे अधिक अंतर लाया। लचीली औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति और एफडीआई नीति में ढील देने से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने लगी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में एफडीआई में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना और घरेलू खपत में वृद्धि शामिल थी। सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक कदम के रूप में स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ करना एक ऐसा प्रयास है जिसने इस दिशा में प्रगति को प्रदर्शित किया है। इस संदर्भ में अनेक ऐसे क्षेत्र है जिनसे इस प्रगति का मार्ग सरल हुआ है जो निम्न प्रकार है।

स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति

भारत ने औसत भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण सुधार किया है। 1947 में, औसत भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी। 2022 में, यह 70 वर्षों से अधिक हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत ने अपने लोगों के स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार किया है।

आपूर्ति शक्ति बढ़ाना और कुशल मानव संसाधन विकसित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। आजादी से पहले बदहाली में रहे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने में काफी मदद मिली है। कई वर्षों से संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा की सामान्य उपलब्धता और लागत में वृद्धि हुई है, जिसकी परिणति हाल ही में घोषित आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में हुई है।

भारत ने आजादी हासिल करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (पीएचसी), जिलों में माध्यमिक देखभाल और क्षेत्रों में तृतीयक देखभाल के साथ त्रिस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली शुरू की। इस संदर्भ में मौलिक रूप से मेडिकल कॉलेजों की वर्तमान

संख्या की जांच करने के लिए मजबूर किया, जिसमें चिकित्सक–से–जनसंख्या अनुपात में काफी वृद्धि हुई । इन सेवाओं के तहत महिला स्वास्थ्य कल्याण से लेकर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इस विषय में आयुष्मान भारत के अंतर्गत बचपन से ही विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (फरवरी 2020 में शुरू किया गया) अनेक जिलों (आकांक्षी जिलों सहित) में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जा रहा है। ''स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत'' के रूप में नामित प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों, संभवतः एक पुरुष और एक महिला को स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण जानकारी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो हर हफ्ते एक घंटे के लिए दिलचस्प आनंददायक पारस्परिक गतिविधियों के रूप में 11 विषयगत क्षेत्रों पर जानकारी प्रदान कराएगी।

किशोर आबादी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) शुरू किया ताकि हाशिए और अयोग्य समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ इसे 253 मिलियन किशोरों– पुरुष और महिला, ग्रामीण और शहरी, विवाहित और अविवाहित, स्कूल के अंदर और बाहर सभी तक पहुचायां जा सके।

तकनीक तथा सेवा क्षेत्र में वृद्धि

तकनीकी उन्नति के लिए हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। उर्वरकों और अन्य रासायनिक खाद्यानों के विस्तारित उपयोग के साथ बीजों की उन्नत किस्मों द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई । 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। यह भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक ऐतिहासिक परियोजना थी । श्वेत क्रांति की बदौलत भारत आत्मनिर्भर दुग्ध उत्पादन बन गया। श्वेत क्रांति सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक शुरुआत थी।

देश के सेवा क्षेत्र में एक बड़ा विकास दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दिखाई दिया है। लगभग दो दशक पहले शुरू हुआ एक चलन अब अपने चरम पर है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को अपनी टेलीसर्विसेज और आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करना जारी रखती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आईटीईएस, बीपीओ और केपीओ कंपनियों की वृद्धि हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के अधिग्रहण ने हजारों नई नौकरियों का सृजन किया है, जिससे घरेलू खपत में वृद्धि हुई है और स्वाभाविक रूप से, मांगों को पूरा करने के लिए अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है।

राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां

लोकतांत्रिक अभ्युथान के आधार पर भारतीय राजनीतिक परिवेश में सकारात्मक सुधार हुए है। जब भारत सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार देने वाले लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ा, तो पश्चिम को इस विषय में संदेह था कि संसद चलाने वालो मे शिक्षा कि अल्पता कैसे इसे आगे बढ़ने देगी, यह स्वतंत्र भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन, उसी अशिक्षित मतदाता ने लोकतंत्र के प्रति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाते हुए दुनिया को चौंका दिया है। मतदाताओं की संख्या धीरे–धीरे और लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं ने भी राजनीति में आगे कि और कदम बढ़ाएं है। इस परिवर्तित संरचना में अनेक आधारभूत परिवर्तन हुए है जिनसे सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्था में सकारात्मक सुधार के साथ ही साथ महिला प्रतिनिधित्व का एक नया आधार मिला है। द्रौपदी मुर्मू जो कि ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर की एक आदिवासी नेता हैं, ने 25 जुलाई, 2022 को भारत के 15 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली । उन्होंने शीर्ष संवैधानिक पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

इसके आलावा भारतीय छवि को आगे बढ़ाने में राष्ट्रिय ही नही अपितु अंतर्राष्ट्रीय कारक भी महत्वपूर्ण है जैसा कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, भारत और वियतनाम ने जनवरी 2022 में अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूर्ति के रूप में महत्वपूर्ण घनिष्ठता हासिल की है। भारत के लिए वियतनाम के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को संजोने और इस विशेष संबंध को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का यह विशेष अवसर है। भारत–वियतनाम संबंधों ने 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचने के बाद से नए रणनीतिक आयाम प्राप्त किए है।

भारत अमेरिकी सम्बंधो के विषय में भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाइडन ने कहा कि इस साल अमेरिका और भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं और दोनों लोकतांत्रिक देश नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा करने, स्वतंत्र एवं खुले हिंद–प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ खड़े रहेंगे।

निष्कर्ष

'नये भारत' के रूप में यह परिवर्तन केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि इसमें सुशासन, लोगों की भागीदारी, सशक्तिकरण–विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से, और एक समावेशी और सतत विकास मॉडल ह जो विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य प्राप्त करने के लिए न केवल कुछ बल्कि सभी के लिए लाभ लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ''आत्मनिर्भर भारत'' की कल्पना की है – जो आत्मनिर्भर और लचीला है, यह न केवल खुद

को दुनिया से अलग करके, बल्कि अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाकर दुनिया में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान दे सके।

वैश्विक भलाई के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने की भारत की इच्छा और साझा शांति, विकास और समृद्धि की इसकी खोज वसुधैव कुटुम्बकम के अपने दर्शन में सन्निहित है, अर्थात ''पूरा विश्व एक परिवार है'' और सागर के सिद्धांत – क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। अपने आकार, क्षमता और महत्वाकांक्षाओं के साथ, भारत महामारी के बाद के वैश्विक पुनरुद्धार में एक प्रमुख कारक बनने के लिए तैयार है।

संदर्भ

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=2&sublinkid=818&lid=221

https://moodswag.com/achievements-of-india-in-the-last-72-years-highlights/

https://tienphongnews.com/india-at-75-a-journey-of-achievements-aspirations-and-resolve-194696.html

https://www.timesnownews.com/mirror-now/in-focus/75-years-of-independence-five-major-achievements-that-made-india-a-global-soft-power-article-93485492

♦♦♦♦♦

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281